



HAPUR POLICE



OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को **20 वर्ष सश्रम कारावास व 15,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया ।**

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक **05.05.2026** को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 04.10.2022 को अभियुक्त अमिर पुत्र महफूज निवासी ग्राम झण्डा मुशरफपुर थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़ द्वारा नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना हाफिजपुर पर मु0अ0सं0 246/2022 धारा 323, 342, 452, 376(3), 506 भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 19.11.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया
- आज दिनांक 05.05.2026 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे स्पेशल/पॉक्सो एक्ट प्रथम हापुड़ द्वारा **20 वर्ष सश्रम कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड** की सजा सुनाई गई ।
- अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक निरीक्षक महेन्द्र सिंह एवं पैरोकार है0का0 पुष्पेन्द्र कुमार व कोर्ट मोहरीर है0का0 प्रशान्त पाण्डेय का विशेष योगदान रहा ।

